राजस्व वाद संख्या 42/2021
GCMS NO. 2021/67
प्रिति वगै0 बनाम सरोज वगै0
आदेश दिनांक 28.10.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

संशोधित प्राथमिक डिक्री

मुकदमा नम्बर :—42/2021 (प्रिति वगै0 बनाम सरोज वगै0)

निर्णय दिनांक :—28.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.03.2025 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम लुट्टू पटवार हल्का कोलिण्डा की सरहद में अवस्थित भूमि ख0न0 21, 22, 42, 42/953, 43, 175, 176 कुल किता 7 कुल रकबा 7.04 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया गया था।

निर्णय दिनांक 28.10.2025 निर्णय अनुसार जमीन जैर बहस में प्रतिवादी संख्या 19 का भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को 1000/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 19 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादीगण द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार बिसाऊ को तहरीर जारी हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर